न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/499

1. मोहन लाल पुत्र रामसुख ।
2. रूपचन्द पुत्र रामसुख ।
3. बद्रीलाल पुत्र रामसुख ।
4. बसन्ती लाल पुत्र रामसुख ।
5. धनकंवर पुत्री रामसुख ।
6. कंचन बाई बेवा रामसुख ।
7. नानूराम उर्फ नयनूराम पुत्र ग्यारसीराम जाति माली ।
8. मुकुन्द पुत्र ग्यारसीराम जाति माली ।
9. उंकार लाल पुत्र ग्यारसीराम जाति माली ।
10. शारदा बाई पुत्री ग्यारसीराम जाति माली निवासीगण चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. प्रहलाद आत्मज नारायण जी जाति माली ।
2. रामभरोस आत्मज प्रभूलाल जाति माली निवासीगण ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. हेमराज आत्मज उदयलाल जाति माली ।
4. राजू बाई पुत्री उदयलाल जाति माली ।
5. जगन्नाथ आत्मज किशनलाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   5/1. मुरली आत्मज जगन्नाथ ।
   5/2. शंकर आत्मज जगन्नाथ जाति माली ।
   5/3. कस्तूरी पुत्री जगन्नाथ जाति माली ।
   5/4. गीता पुत्री जगन्नाथ जाति माली ।
   5/5. बरजी बेवा जगन्नाथ जाति माली निवासीगण ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
6. धन्नी बाई पुत्री किशन लाल जी पत्नी श्रीनाथ जाति माली हाल निवासी सिटी पुलिस लाईन के सामने नयागॉव कोटा ।
7. रतनी बाई पुत्री किशनलाल पत्नी वीरेन्द्र जाति माली हाल निवासी ग्राम खांड्या तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री संजय पाटोदी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 18.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 54 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चेचट तहसील, रामगंजमण्डी में वादीगण एंव प्रतिवादीगण के शामलाती खाते एंव कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 423 की 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 424 की 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 425 की 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 429 की 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 430 की 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 431 की 08 बिस्वा, ख्सरा नम्बर 432 की 01 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 433 की 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 434 की 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 435 की 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 436 की 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 439 की 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 440 की 02 बीघा, ख्सरा नम्बर 442 की 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 443 की 18 बिस्वा, खसरां नम्बर 445 की 02 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 446 की 01 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1257 की 19 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1619 की 08 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1630 की 26 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 20 कुल रकबा 70 बीघा 07 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/3, प्रतिवादीगण कम 1 से 3 का हिस्सा 1/3, प्रतिवादीगण कम 4 से 8 का हिस्सा 1/3 निहित है । वादीगण अपने हिस्से 1/3 आराजी पर 30 वर्षो से अधिक समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । उक्त भूमि शामलाती खाते में दर्ज होने से उस पर काश्त करते समय लगान अदा करते समय तथा भूमि के उन्नत विकास से सम्बन्धित बैंक से ऋण प्राप्त करने के समय पक्षकारान में अक्सर लडाई– झगडे होते रहते हैं । ऐसी स्थिति में वादीगण को वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाया जाना आवश्यक हो गया है ।

3. अतः प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से जो वादीगण के कब्जे काश्त में है पर किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे तथा वादी को उसके शांतिपूर्वक कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करे । वादग्रस्त आराजी का नियमानुसार खाता विभाजन किया जाकर हिस्सा वादीगण 1/3 पृथक खाते दर्ज किया जाकर वादीगण को अपने हिस्से पर स्वतंत्र रूप से दखल दिया जावे ।

4. प्रतिवादीगण कम 1 से 8 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.07.2008 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के हिस्से अनुसार मुताबिक कब्जे काश्त किया जाकर मय नजरी नक्शा दिशा लगान सहित अन्दर 15 दिवस में भिजवाने हेतु तहसीलदार को कमीश्नर नियुक्त किया तथा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियमों के प्रावधान अनुसार पक्षकारान के आने जाने का प्रावधान भी उक्त विभाजन में रखने का निर्णय एंव विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.07.2008 की पालना में पक्षकारान के मध्य विभाजन की दिनांक 28.05.2009 को अंतिम डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.07.2008 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.05.2099 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में दो अलग–अलग अपीलें प्रस्तुत की । न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 05.09.2012 के द्वारा प्राथमिक डिक्री की अपील को खारिज करते हुए प्राथमिक डिक्री यथावत रखते हुए अंतिम डिक्री दिनांक 28.05.2009 को निरस्त करते हुए अंतिम डिक्री की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए राजस्व नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः अंतिम डिक्री पारित करने का आदेश पारित करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्देशों की अनुपालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया । तत्पश्चात् प्रतिवादीगण कम 4 लगायत 08 ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.09.2013 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी आपत्ति बाबत् प्रारम्भिक डिक्री प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रस्तुत वाद में वादीगण ने मात्र ग्राम चेचट की सहखातेदारी की भूमि के बाबत् विभाजन का वाद प्रस्तुत किया है । प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में पक्षकारान के मध्य ग्राम चेचट व ग्राम गुडाला व ग्राम खेडली तहसील रामगंजमण्डी की समस्त संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन बाबत् कथन किया था । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर समस्त ग्रामों की संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन पक्षकारान के मध्य एक साथ करने का आदेश पारित किया जावे ।

9. तत्पश्चात् प्रतिवादी कम 4 से 8 ने अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 15.02.2016 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि प्रतिवादिनी कायममुकामान 1/2 धापूबाई बेवा देवलाल का स्वर्गवास गत 04 वर्ष पूर्व हो चुका है जिसकी जानकारी वादीगण को प्रारम्भ से है किन्तु उक्त प्रतिवादिनी के कायममुकामान आज तक रिकॉर्ड पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । इस कारण वाद अबेट हो चुका है । अतः प्राथमिक डिक्री पर आपत्ति सुनवायी की स्टेज पर यह कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे ।

10. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.05.2017 के द्वारा प्रतिवादी कम 4 से 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.02.2016 खारिज करते हुए प्रतिवादी कम 1 से 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी स्वीकार करते हुए प्रस्तुत विभाजन के वाद में ग्राम चेचट, ग्राम गुडाला एवं ग्राम खेडली की संयुक्त खाते की आराजी का भी पक्षकारान के मध्य एक साथ विभाजन करने का आदेश पारित किया ।

11. इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2018 से दावा वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ग्राम चेचट, ग्राम गुडाला एवं ग्राम खेडली की संयुक्त खाते की आराजी के बाबत् विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की ।

12. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.05.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में ग्राम चेचट स्थित खसरा नम्बर 1620 रकबा 28 बीघा 02 बिस्वा भूमि को शामिल किये बिना ही दावा डिक्री कर दिया । प्रस्तुत प्रकरण को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्राथमिक डिक्री को बहाल रखते हुए अंतिम डिक्री पुनः पारित करते बाबत् प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण है। ग्राम चेचट में कुल 21 किता की 98 बीघा 09 बिस्वा आराजी स्थित थी उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 1620 रकबा 28 बीघा 02 बिस्वा भूमि में से सहखतोदार देवलाल, प्रहलाद पिसरान नारायण द्वारा 14 बीघा 11 बिस्वा में से 2/3 हिस्सा भूमि का बेचान राधाकिशन आत्मज कंवर लाल को दिनांक 23.06.1984 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कर दिया जो अपने हिस्से से अधिक का विक्रय होने तथा रेस्पोडेन्ट के हिस्से में से कम नहीं की । उक्त तथ्य अपीलान्ट ने पूर्व में प्रस्तुत अपीलों में भी वर्णित किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा बेचान की गई भूमि को शामिल नहीं कर उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2018 निरस्त फरमाया जवे ।

13. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की बिना जानकारी व सूचना के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की है । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.08.2018 को वकील साहब से सम्पर्क कर अगामी तारीख पेशी की जानकारी हेतु मिलने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

14. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

15. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद में ग्राम चेचट की आराजी खसरा नम्बर 1620 रकबा 28 बीघा 02 बिस्वा को शामिल किये बिना दावा डिक्री किया है जो त्रुटिपूर्ण है । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 05.09.2012 की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 22.07.2008 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी और दिनांक 28.05.2009 को अंतिम डिक्री पारित की थी । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय में प्रारम्भिक डिक्री को यथावत रखा था और अंतिम डिक्री को अपास्त करके प्रकरण अंतिम डिक्री पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया था । इन तथ्यों पर गौर नहीं किया गया कि ग्राम चेचट की कुल 21 किता की 98 बीघा 09 बिस्वा आराजी थी इस आराजी में से खसरा नम्बर 1620 रकबा 28 बीघा 02 बिस्वसा में से सहखातेदार देवलाल, प्रहलाद ने 14 बीघा 11 बिस्वा आराजी में से 2/3 हिस्से का बेचान राधाकिशन आत्मज कंवर लाल को सन् 1984 में कर दिया है जो अपने हिस्से से अधिक का विक्रय पत्र होने तथा बाद विक्रय पत्र राधाकिशन के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाने के बावजूद बेचान की गई आराजी रेस्पोडेन्ट के हिस्से में से कम नहीं की । अपीलान्ट द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील संख्या 72/2009 व 73/2009 में वर्णित किया गया था और अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस बाबत् आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की आपत्ति पर किसी प्रकार

का कोई आदेश प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.07.2008 के विरूद्ध की गई अपील में भी उक्त आदेश एवं डिक्री बहाल रही है जिसको सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है । इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.05.2017 को ग्राम खेडली एवं ग्राम गुडाला स्थित आराजी को ही वाद में शामिल कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट द्वारा वाद प्रस्तुत किया था जिसके जवाब में रेस्पोडेन्ट द्वारा ग्राम खेडली व ग्राम गुडाला की आराजी का वर्णन नहीं किया गया और न ही वादपत्र में वर्णित आराजी के सम्बन्ध में कोई सहायता चाही गई और न ही वादपत्र में वर्णित आराजी के सम्बन्ध में कोई संशोधन किया गया । फिर भी वर्णित आराजी को शामिल कर खसरा नम्बर 1620 वाके ग्राम चेचट स्थित आराजी को छोड दिया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2018 को निरस्त फरमाया जावे ।

16. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि सम्मत रूप से अन्य ग्रामों की आराजी को शामिल करते हुए डिक्री पारित की गई है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2018 बहाल रखा जावे ।

17. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

18. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पूर्व में दिनांक 22.07.2008 को विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी और दिनांक 28.05.2009 को विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की थी । इस न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.09.2012 से विभाजन की प्रारम्भिक को यथावत रखा था और अंतिम डिक्री को निरस्त करते हुए प्रकरण को रिमाण्ड किया गया । प्रकरण रिमाण्ड होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी कम 04 से 08 ने इस आशय का पेश किया कि पक्षकारान के मध्य ग्राम चेचट की आराजी के विभाजन हेतु डिक्री पारित की गई है जबकि ग्राम चेचट की आराजी के अलावा ग्राम गुडाला एवं ग्राम खेडली में भी पक्षकारान की संयुक्त खाते की आराजी विद्यमान है और इसमें यह भी अंकित किया गया था कि ग्राम चेचट की खाता संख्या 218 की कुल 20 किता की रकबा 70 बीघा 07 बिस्वा एवं खाता संख्या 564 के खसरा नम्बर 1620 की रकबा 28 बीघा 02 बिस्वा का विभाजन होना है। इस प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2017 को स्वीकार किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश को किसी अपीलीय न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया हो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय के द्वारा जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है उसमें ग्राम चेचट की खसरा नम्बर 1620 की रकबा 28 बीघा 02 बिस्वा आराजी को शामिल नहीं किया गया है जिसे शामिल किया जाना अनिवार्य है ।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रारम्भिक डिक्री में पक्षकारान के हिस्से को अंकित नहीं किया गया है जबकि प्रारम्भिक डिक्री में सहखातेदार के हिस्से का स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना आवश्यक होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

20. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि ग्राम चेचट की खाता संख्या 564 की खसरा नम्बर 1620 की 28 बीघा 02 बिस्वा को शामिल करते हुए सहखातेदारों के हिस्से को स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से पत्रावली प्राप्ति के 03 माह के अन्दर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 09.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

21. निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/10/19

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा